<u>न्यायालयः—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)</u> <u>पीठासीन अधिकारीः—वरूण कुमार शर्मा</u>

<u>व्यवहार वाद क. 57ए / 2017</u> <u>संस्थित दिनांक 09.06.17</u> फाईलिंग.नं. 209 / 2017

- 1. नेहनेराम पुत्र मोतीराम माहौर, आयु 61 वर्ष,
- 2. तुलसीराम पुत्र झींगुरी माहौर, आयु 59 वर्ष,
- 3. रामौतार पुत्र मातादीन माहौर, आयु 36 वर्ष,
- 4. रामलखन पुत्र मातादीन माहौर, आयु 26 वर्ष,
- 5. कमलेश पुत्र लालाराम माहौर, आयु 46 वर्ष,
- 6. नन्दराम पुत्र लालाराम माहौर, आयु 31 वर्ष,
- 7. नरेश पुत्र गरीबे माहौर, आयु 41 वर्ष
- 8. गब्बरसिंह पुत्र गरीबे माहौर, आयु 31 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम लहचूरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

.....वादीगण

विरुद्ध

- 1. धनसिंह पुत्र प्रभुआ माहौर, आयु 71 वर्ष,
- 2. लक्ष्मण पुत्र प्रभुआ माहौर, आयु 58 वर्ष,
- 3. पातीराम पुत्र प्रभुआ माहौर, आयु 51 वर्ष, समस्त निवासीगण ग्राम लहचूरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
- 4. मध्य प्रदेश शासन

.....प्रतिवादीगण

<u>आदेश</u> <u>आज दिनांक 16.05.18 को पारित</u>

- 1— इस आदेश के माध्यम से वादीगण/आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 आई.ए.नंबर 1 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— वादीगण/आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लहचूरा तहसील गोहद में स्थित भूमि सर्वे कमांक 451 रकवा 0.050, 478 रकवा 1.310, 479 रकवा 0.060, 483 रकवा 0.080, 641 रकवा 0.020 वादीगण की शामलाती पैतृक भूमि है जिसमें 2/3 हिस्से में से वादी कमांक 1 का 1/3 हिस्सा

और वादी क्रमांक 2 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा है और वादीगण भूमि पर अपने हिस्से के अनुसार काबिज होकर खेती कर रहे हैं। प्रकरण में उपरोक्त भूमि वादग्रस्त है जिसे अत्र पश्चात् वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जाएगा। वादग्रस्त भूमि का बंदोबस्त से पूर्व खसरा नं. 51/1, 51/2, 477, 729/2, 730/1, 740, 742, 743, 744, 745, 728/2, 779, 864 था। प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रभुआ के द्वारा एक सिविल वाद कमांक 58/61 वादीगण के पूर्वजों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 22.03.1972 को निर्णय पारित हुआ था और निर्णय के उपरांत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य आपस में राजीनामा हो गया था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं और उनके पूर्वज का नाम किशनलाल था।

आवेदन में यह भी अभिवचन है कि किशनलाल के तीन पुत्र देवलाल, पतौखी एवं झींगुरी थे जिसके कारण वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं वादी क्रमांक 2 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के पिता प्रभुआ ने जब सुहांसवारी के साथ पुर्नविवाह किया था तब जनवेद साथ में आया था और जनवेद के प्रतिवादी क्रमांक 1 धनसिंह उत्पन्न हुआ था। पक्षकारों के मध्य पारिवारिक समझौता हो गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जमीन में हिस्सा पूर्वजों के हिस्से के अनुसार ही रहेगा और इस कारण से धन सिंह को प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के पिता ने स्वीकार कर अपनी विल्दियत दे दी थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने भूमि पर अपना गलत हिस्सा अर्थात 1/2 हिस्सा अंकित करा लिया है जबकि वास्तविकता में उनका हिस्सा 1/3 है और शेष 2/3 हिस्से में से वादी क्रमांक 1 का 1/3 हिस्सा और वादी क्रमांक 2 लगायत ८ का 1/3 हिस्सा है। न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री उभयपक्षों के मध्य हुए राजीनामे के कारण प्रभावहीन हो गई है और उक्त डिकी 45 वर्ष पूर्व पारित हुई थी जबकि डिकी का प्रवर्तन केवल 12 वर्ष के भीतर ही कराया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने न्यायालय के द्वारा पारित डिकी के अनुसार तहसीलदार गेाहद के न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगण को नोटिस जारी होने पर वादीगण को डिकी की जानकारी हुई है। अतः हस्तगत आवेदन के माध्यम से प्रतिवादीगण को उक्त डिक्री के आधार पर नामांतरण कार्यवाही कराने, वादीगण के शामलाती कब्जे में व्यवधान उत्पन्न करने तथा वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने से निषेधित किए जाने का निवेदन किया।

- 4— प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 3 के द्वारा आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदन में अभिवचित्त तथ्यों को अस्वीकार किया गया है और यह बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है और नहीं उक्त भूमि पैतृक संपत्ति है अपितु वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 3 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। सिविल वाद कमांक 58/61 में पारित निर्णय के अनुसार प्रभुआ को भूमि स्वामी घोषित कर कब्जा दिलाया गया था तथा प्रतिवादीगण को संपूर्ण वाद व्यय अदा करने एवं वादी प्रभुआ के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया गया था। वादी के द्वारा वर्तमान प्रकरण में गलत सिजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है क्योंकि किशनलाल एवं बिहारी के दो परिवार थे और किशनलाल की संतान देवलाल थे और देवलाल की संतान प्रभुआ थे और प्रभुआ की संतान प्रतिवादी कमांक 1, 2 एवं 3 हैं। बिहारी के दो प्रतीखी एवं झींगुरी थे।
- प्रतिवादीगण का जवाब में यह भी अभिवचन है कि पतौखी के पुत्र 5— मोतीराम और मोतीराम के पुत्र नेहनेराम हैं एवं झींगुरी के पुत्र मातादीन, लालाराम, गरीबे एवं तुलसीराम हैं जिसमें से मातादीन, लालाराम एवं गरीबे का स्वर्गवास हो चुका है। मातादीन के पुत्र रामौतार व रामलखन हैं। लालाराम के पुत्र कमलेश, नंदराम तथा गरीबे के पुत्र नरेश एवं गब्बर सिंह हैं। प्रतिवादी ने यह भी अभिवचन किया है कि सुहांसवाली के साथ देवलाल ने पुर्नविवाह किया था और सुहांसवाली के साथ जनवेद आया था। जनवेद की शादी ग्वालियर की गोमा के साथ हुई थी और जनवेद की मृत्यु के बाद गोमा का प्रभुदयाल से धरीक्षा हुआ था। जनवेद से गोमा की संतान धन सिंह उत्पन्न हुई थी और प्रभुदयाल से पातीराम व लक्ष्मण उत्पन्न हुए थे। प्रभुदयाल ने धन सिंह, लक्ष्मण एवं पातीराम को अपना वारिस मानते हुए उन्हें अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति रजिस्टर्ड बसीयतनामे से दी थी। सिविल न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से उदभूत निष्पादन प्रकरण में दिनांक 13.11.86 को आपत्तिकर्ता श्रीराम की आपत्ति निरस्त की गई थी और यह आदेशित किया गया था कि प्रभुआ का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में अंकित कराया जाए।
- 6— आवेदन के जवाब में यह भी अभिवचन है कि उक्त आदेश के पालन में राजस्व अभिलेख में प्रभुआ का नाम दर्ज किया गया था, किंतु मौजा पटवारी ने प्रभुआ का नाम 1/2 भाग पर, सूखी का नाम 1/6 भाग पर, नेहने

का नाम 1/12 भाग पर, मातादीन, लालाराम, गरीबे, तुलसीराम का नाम 1/4 भाग पर गलत दर्ज कर दिया था। इस प्रकार निष्पादन की कार्यवाही नियत अविध में ही पूर्ण हो चुकी है। वादीगण ने जब दिनांक 01.06.17 को भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी तब प्रतिवादीगण ने अभिलेख की जानकारी प्राप्त की, जिससे उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वादीगण ने आधी जमीन पर अपना नाम लिखा लिया है जो कि निर्णय दिनांक 22.03.1972 के प्रतिकूल है। वादीगण ने उक्त डिक्री एवं निर्णय को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है और झूठा दावा प्रस्तुत किया है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

- 7- प्रतिवादी क्रमांक 4 मध्य प्रदेश शासन की ओर से आवेदन का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 8— आवेदन के निराकरण हेतु प्रमुख विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:—
 01— क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में है ?
 02— क्या सुविधा का संतुलन वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में स्थापित है?
 03— क्या वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने की दशा में वादीगण/आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होगी ?

विचारणीय बिन्दु 1 लगायत 3

- 9— वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 एवं 3 के पिता प्रभुआ के द्वारा एक सिविल वाद 58ए/61 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें ग्राम लहचूरा के सर्वे क्रमांक 51/2, 477, 745, 779 की भूमि को विवादित बताया गया था। उक्त दावे में न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.03.1972 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादी के पक्ष में डिक्री किया गया था और प्रतिवादी झींगुरी, पतौखी एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों से वादी को कब्जा सौपने एवं उन्हें वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया गया था। इसके उपरांत उपरोक्त डिक्री के निष्पादन में प्रभुआ का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रूप में अंकित कराए जाने का आदेश दिनांक 13.11.1986 को दिया गया था।
- **10** न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.08.17 की कंडिका 3 में यह लेख किया गया है कि प्रकरण कमांक 58/61 में सिविल न्यायालय के द्वारा सर्वे कमांक 51/1, 51/2, 477, 729, 730, 740, 742, 743,

744, 745, 728 / 2, 779, 864 के संबंध में डिकी प्रभुआ के पक्ष में पारित की गई थी जिसके नए बंदोबस्त के बाद सर्वे नम्बर 451, 478, 479, 483 एवं 641 हैं। नायब तहसीलदार के द्वारा प्रकरण कमांक 58 / 61 की डिकी के अनुसार प्रभुआ के पुत्र धनसिंह, लक्ष्मण सिंह एवं पातीराम का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किए जाने का निर्देश दिया गया था जिसके अनुपालन में वर्ष 2016—17 के खसरे में आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं।

- 11— अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित है कि सिविल वाद कमांक 58ए/61 में पुराने खसरा नम्बर 51/1, 729/2, 730/1, 740, 742, 743, 744, 728/2, 864 न तो विवादित थे और न ही उनके संबंध में कोई डिकी प्रदान की गई थी। वर्तमान प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के कुल 13 सर्वे नम्बरों को मिलाकर ही सर्वे क्रमांक 451, 478, 479, 483, 641 बनाया जाना प्रथम दृष्टया दर्शित होता है।
- 12— वादीगण के द्वारा वर्तमान प्रकरण में सिविल वाद क्रमांक 58ए / 61 में पारित निर्णय एवं डिक्री को ही चुनौती दी गई है जिसके कारण उक्त डिक्री के आधार पर की गई नामांतरण कार्यवाही भी प्रश्नगत हो जाती है। इस प्रकार वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष विधि का ऐसा सारभूत प्रश्न उद्भूत किया गया है जिसका न्याय निर्णयन किया जाना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में स्थापित पाया जाता है।
- जहां तक प्रश्न सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षिति का है तो यदि दावे के दौरान प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि को अंतरित कर दिया जाता है तो उससे वादीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत दावे के निराकरण तक प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि अंतरित करने से निषेधित करने पर उन्हें अपेक्षाकृत अधिक असुविधा होगी, ऐसा दर्शित नहीं है और न ही प्रतिवादीगण को ऐसी क्षिति होगी जिसकी प्रतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकेगी। अतः सुविधा के संतुलन, अपूर्णनीय क्षिति के बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में स्थापित हैं।
- 14— वादीगण के द्वारा हस्तगत आवेदन के माध्यम से प्रतिवादीगण को उनके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किए जाने का अनुतोष भी चाहा गया है जिसके संबंध में यह अवलोकनीय है कि वर्तमान के खसरे प्रथम दृष्टया प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य दर्शाते हैं। इसके विपरीत वादीगण ने

ऐसा कोई दस्तावेज अथवा नक्शा भी पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वह वर्तमान में वाद ग्रस्त भूमि की किस दिशा एवं किस भाग के आधिपत्य में है अर्थात जहां कि आधिपत्य से संबंधित भू—भाग विर्निदिष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है वहां वादीगण के द्वारा चाहा गया उपरोक्त अनुतोष उन्हें प्रदान नहीं किया जा सकता है।

15— फलतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण के निराकरण अथवा न्यायालय के आगामी आदेश दोनों में से जो भी पूर्व में हो तक वादग्रस्त भूमि को विक्रय अथवा अंतरित न करें।

16— आवेदन के निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर विनिश्चय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया। मेरे बोलने पर टंकित।

(वरूण कुमार शर्मा) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) (वरूण कुमार शर्मा) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)